राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक : प.9(23)गृह-5/2005 जयपुर, दिनांक 3-10-05

परिपत्र

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 दिनांक 15 जून, 2005 से प्रभावशील हो गया है। उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) एवं धारा 12, 13, 15, 16, 24, 27, 28 की उपधाराएँ (1) एवं (2) तत्काल प्रभाव में आ गयी है। शेष प्रावधान अधिनियम बनने की तिथि से 120वें दिन अर्थात् 12 अक्टूबर, 2005 से लागू होंगे। अधिनियम की प्रति संलग्न है।

उक्त अधिनियम द्वारा जहाँ प्रत्येक नागरिक को सूचना का अधिकार दिया गया है वही राज्य के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा किया जा रहा राजकीय कार्य में पारदर्शिता लाने एवं उनका उत्तरदायित्व निर्धारण करने की व्यवस्था की गई है। इसलिये इस अधिनियम की सफल क्रियान्विति का हम सभी का दायित्व है।

इस अधिनियम के राज्य में क्रियान्विति के सन्दर्भ मे पूर्व में मुख्य सचिव महोदय के स्तर पर बैठक आयोजित की जाकर आपको समय सीमा के अन्तर्गत ही अधिनियम के प्रावधानों की क्रियान्विति हेतु निर्देश दिये गये थे। इसके अतिरिक्त अधोहस्ताक्षरकर्ता के स्तर पर अ.शा. टीप दिनांक 11-9-2005 के माध्यम से कतिपय शंकाओं का समाधान किया जाकर आपसे अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित व्यवस्थायें सुनिश्चित करने हेतु आग्रह किया गया था।

आपके स्तर पर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत यथोपेक्षित निम्नांकित व्यवस्थायें सुनिश्चित कर ली गई होंगी :-

1. अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड 'बी' में अंकित अपेक्षित निदेशिका(मैनुअल) का संधारण किया जाकर उन्हें प्रकाशित किया जाना। (मार्गदर्शन हेतु मैनुअल का प्रारूप संलग्न है)
2. आपके अधीन कार्यरत समस्त लोक प्राधिकरण (Public Authority) के स्तर पर अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अनुसार लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति किया जाना एवं अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अन्तर्गत सहायक लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति किया जाना।
3. प्रत्येक लोक प्राधिकरण (Public Authority) के सन्दर्भ में अपील अधिकारी की नियुक्ति किया जाना।

राज्य के स्तर पर यह उपयुक्त समझा गया है कि सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में यथावर्णित प्रत्येक विभागाध्यक्ष के अधीन विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित प्रत्येक संस्थान लोक प्राधिकरण (Public Authority) रहेगा एवं निम्नानुसार लोक सूचना अधिकारी एवं अपील अधिकारी नियुक्त किये जावेंगे :-

क्र. सं.	लोक प्राधिकरण	राज्य लोक सूचना अधिकारी	अपील अधिकारी
1.	सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 2 (xvii) के संदर्भ में परिशिष्ठ 8 में यथा उल्लेखित विभागाध्यक्षों की सूची अनुसार	विभागाध्यक्ष के अधीनस्थ वरिष्ठतम अधिकारी	विभागाध्यक्ष
2.	जिला परिषद/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	जिला प्रमुख

3.	पंचायत समिति	विकास अधिकारी	प्रधान
4.	ग्राम पंचायत	सचिव	सरपच
5.	राज्य उपक्रम/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अधिनस्थ वरिष्ठतम अधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
6.	जयपुर विकास प्राधिकारण/नगर सुधार न्यास	सचिव, ज.वि.प्रा./ सचिव, नगर सुधार न्यास	आयुक्त, ज.वि.प्रा./ अध्यक्ष अथवा प्रशासक, नगर सुधार न्यास
7.	नगर निगम/ नगर परिषद/ नगरपालिका	मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ आयुक्त/ अधिशाषी अधिकारी	महापौर/ सभापति/ अध्यक्ष
8.	विश्वविद्यालय	कुलसचिव	कुलपति
9.	राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित सहकारी संस्था/समिति	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	अध्यक्ष

सभी प्रशासनिक विभाग लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति के साथ-साथ सहायक लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति उपखण्ड स्तर पर सुनिश्चित करायेंगे। यदि किसी लोक प्राधिकरण की उपखण्ड स्तर पर कोई शाखा नही है ऐसे मामलों में सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को सहायक लोकसूचना अधिकारी नियुक्त किया जावेगा।

शासन सचिवालय के लिये राज्य लोक सूचना अधिकारी के लिए प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग होंगे तथा अपील अधिकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव(विकास) होंगे।

राज्य सरकार के स्तर पर राज्य सूचना आयोग के गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

इस अधिनियम के प्रावधानों के लागू होने से जन सामान्य द्वारा सूचनायें प्राप्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जावेंगे जिन पर निश्चित समयावधि के अन्दर ऐसे आवेदनों पत्रों का निस्तारण आवश्यक है। इसकी पालना नही करने पर लोक सूचना अधिकारी की त्रुटि मानते हुये ऐसे अधिकारी के विरूद्ध शास्ती आरोपित किये जाने का प्रावधान है। अतः प्रत्येक स्तर पर इस अधिनियम के प्रावधानों की क्रियान्विति की ठोस व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

आज्ञा से,

3/10/05

(वी.एस. सिंह)

प्रमुख शासन सचिव,गृह

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।

3/10/05

उप शासन सचिव (सुरक्षा)